

26-03-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
उपरि-वत दिनांक पर अधिवक्ता दायरी
उभय पत्र लगन दायराल की। दिनांक
23-04-18 को रूखे।


26/3/18

23-04-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधिवक्ता दायरी दिनांक पर उपरि-वत।
उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित
हो गया है। अतः वाद में अभिलेख
की कारवाही बन्द की जाती है।


23/4/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी
मुम्बई (राँची)